न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 182/2015 दायरा दिनांक : 11.08.2015

उनवान

नवलकिशोर आयु 35 साल पुत्र श्री लालचन्द, जाति माली, निवासी हाल रमेश जी नायक का मकान, आनन्द विहार कॉलोनी, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. लालचन्द आयु 66 साल पुत्र श्री लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण लाल, जाति माली, निवासी पंडा जी के बाग मे चाचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां
2. हीरा लाल आयु 47 साल पुत्र श्री लालचन्द, जाति माली, निवासी काजरी बाग के पास देहरी के पुराने रास्ते पर, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज.
3. (मृतक) खेमचन्द्र आयु 45 साल पुत्र श्री लालचन्द, जाति माली, निवासी पंडा जी के बाग मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

3/1 बसन्ती बाई बेवा श्री खेमचन्द्र, जाति माली, निवासी पंडा जी के बाग मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

3/2 रामस्वरूप पुत्र श्री खेमचन्द्र, जाति माली, निवासी पंडा जी के बाग मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

3/3 मुकेश पुत्र श्री खेमचन्द्र, जाति माली, निवासी पंडा जी के बाग मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

3/4 धनराज पुत्र श्री खेमचन्द्र, जाति माली, निवासी पंडा जी के बाग मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

3/5 सुनिता बाई पुत्री श्री खेमचन्द्र, जाति माली, निवासी पंडा जी के बाग मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां राज0

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

4 पांची बाई आयु 43 साल पुत्री श्री लालचन्द, जाति माली, निवासी पंडा जी के बागे मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां

5 मांगी लाल आयु 40 साल पुत्र श्री लालचन्द, जाति माली, निवासी पंडा जी के बागे मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां

6 शंकर लाल आयु 38 साल पुत्र श्री लालचन्द्र, जाति माली, निवासी आनन्द विहार कॉलोनी, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

7 किशना बाई आयु 31 साल पुत्री श्री लालचन्द, जाति माली, निवासी पंडा जी के बागे मे चांचोडी दरवाजा, छबडा तहसील छबडा, जिला बारां

8 सब रजिस्टार साहब, छबडा जिला बारां राज0

9 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 34/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम हनुवंतखेड़ा, तहसील छबड़ा में आराजी खसरा नम्बर 110 रकबा 0.12 बीघा व खसरा नम्बर 111 रकबा 2.16 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा स्थित है । जिस पर खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 7 के पिता रेस्पोडेंट नम्बर 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । उक्त वर्णित वादग्रस्त

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आराजी बताकर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था जिसे स्वीकार कर अपीलांट वादी नवलकिशोर का वादग्रस्त आराजी में 1/8 हिस्सा नियत करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्वथा खिलाफ कानून, न्याय, तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है । दौराने दावा अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3, 5, 6 के पक्ष में रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 7 द्वारा अपने हक व हिस्से की आराजियात हक तर्क कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है तथा रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 7 द्वारा अपने हिस्से की आराजियात को हक तर्क कर देने के निवेदन पर उपरोक्त आराजियात अपीलांट 1/6 हिस्सा, रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 का 1/6 – 1/6 हिस्सा व रेस्पोडेंट नम्बर 3/1 ता 3/5 का 1/6 हिस्सा व रेस्पोडेंट नम्बर 5 व 6 का 1/6 – 1/6 हिस्सा बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र कोई गौर नहीं करके त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को न्यायहित में सभी पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लक्ष्मण के पुत्र लाल चन्द, रामकल्याण, केसर हैं । रामप्यारी बेवा फौत हो चुकी है । लाल चन्द वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का दावा किया था । जिसमें 1/8 हिस्से का आदेश पारित कर दिया जबकि 1/6 हिस्से का आदेश पारित करना चाहिए इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांटगण ने हक त्याग के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

(महेन्द्र लोका)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 06.07.2015 को वाद में प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 7 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर वाद का निर्णय चाहा । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर वादी अपीलांट के हस्ताक्षर हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस प्रार्थना पत्र का हवाला दिया है और वादग्रस्त आराजी का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी के बीच प्रत्येक का 1/8 हिस्सानुसार किया है जबकि दिनांक 06.07.2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी रेस्पोडेंट संख्या 1, 4, 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट संख्या 4 व 7 पुत्रियां होने से अपने पिता व भाइयों के हक में हक त्याग कर रहे हैं और हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं । दोनों बहनों का हिस्सा समाप्त होने के बाद अब प्रत्येक का हिस्सा 1/6 – 1/6 होता है जिसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का हिस्सा 1/8 के आधार पर किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर सी पी सी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत तनकीवार निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित करें तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा